न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 150/2024 राजस्व प्रार्थनापत्र

1. कल्याण सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
2. जोरावर सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
3. भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
4. पवन सिंह पुत्र स्व0 श्री इन्द्र सिंह रावत आयु नाबालिग जरिये संरक्षक वादमित्र बड़े पिता कल्याण सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
5. साक्षी पुत्री स्व0 श्री इन्द्र सिंह रावत आयु नाबालिग जरिये संरक्षक वादमित्र बड़े पिता कल्याण सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

–– प्रार्थीगण

बनाम

01. अमर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
02. केशी पत्नी श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
03. छकु बाई पुत्री श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
04. तिलोक सिंह पुत्र श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
05. ईश्वर सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
06. शंकर सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
07. चन्द्रा बाई पुत्री श्री भोपाल सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
09. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

परिथत :–

श्री मुकेश सिह तंवर –– अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय –– अधिवक्ता वि.सं. 01 लगायत 09

:: आदेश :: दिनांक– 07.01.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वादपत्र धारा ,89,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 सात एक ही परिवार के होकर टेका जी के वारीसान है, टेका जी के 3 पुत्र भोपाल सिंह, किशन सिंह व रामसिंह हुए, जिनमे रामसिंह के वारीसान प्रार्थीगण व भोपाल सिंह के वारीसान विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 व किशन जी के वारीसान विपक्षी संख्या 05 पांच लगायत 07 है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 07 सात के परिवार का पारीवारिक सजरा संलग्न परिशिष्ठ "अ" मे वर्णित है। जो वादपत्र का अभिन्न अंग है। सरहद आठोलियो पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 04 चार मे आराजी नम्बर 3373/48 रकबा 0.3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3374/44 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3375/44 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3376/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3377/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3378/38 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3379/48 रकबा 0.3025 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3380/44 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 44 रकबा 2.4408 हैक्टयर, आराजी नम्बर 45 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 46 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 47 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 48 रकबा 0.8600 हैक्टयर कुल किता 13 रकबा 5.2102 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 सात के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। वादपत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 31, 33/2, 29,30,33/4,32, 33/3 होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 07 सात की पुश्तैनी कृषि आराजियात होकर जमाबंदी संवत 2014 से 2017 मे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पूर्वज टेका पुत्र श्री काना के नाम पर दर्ज होकर जमाबंदी संवत 2015 से 2018 मे प्रार्थीगण के पिता व दादा रामसिंह , विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व पति भोपाल सिंह व विपक्षी संख्या 05 लगायत 07 के पिता किशन सिंह के संयुक्त नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात मे पारीवारिक सजरे अनुसार प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 सात का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 05 लगायत 07 का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजियात मे 1/3 हक हिस्से पर प्रार्थीगण के पिता व दादा रामसिंह जी काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा होकर प्रार्थीगण अपने हक हिस्से पर निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। दिनांक 10 दस दिसम्बर 2023 दो हजार तैबीस को विपक्षीगण मौके पर आये व प्रार्थीगण को जबरन जमीन से जबरन बेदखल करने की कोशिश की, इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि उक्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात है, जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस पर विपक्षीगण ने कहा कि उक्त आराजियात मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही है। इस कारण से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करके रहेगे व आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करके रहेगे। इस पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि जमाबंदी संवत 2015 से 2018 मे प्रार्थीगण के पिता व दादा रामसिंह जी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज था, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना प्रार्थीगण के पिता व दादा रामसिंह जी का नाम विलोपित कर विपक्षीगण के पिता व पति भोपाल सिंह, किशन सिंह जी के नाम पर ही दर्ज हो गयी, जो उनके देहान्त उपरान्त विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 सात के नाम पर दर्ज हो गयी। जो गलत है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, अपना नाम व 1/3 हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। विपक्षीगण प्रार्थीगण को जबरन वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने व आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगा व विपक्षीगण के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात

को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। वादीगण प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है ओर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण वादीगण के पक्ष मे है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 वादीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगा व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/ खुर्द बुर्द कर देगा तो वादीगण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

2– **सुविधा संतुलन**

3– **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये, जिसके अनुसार उक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण के पिता व दादा रामसिंह जी की होकर प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात है, जो कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 के नाम पर गलत तौर पर दर्ज हुई है। जबकि उक्त आराजीयात मे प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा है जिससे हक स्वत्व का बिन्दू विवादित है। कब्जा प्रार्थीगण का प्रमाणित होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है। उक्त भूमि को अन्तरण आदि होने व प्रार्थीगण का बेदखल करने से प्रार्थीगण को क्षति हो सकती है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन– उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होना बताया गया है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित होने से व कब्जा प्रार्थीगण का होने व प्रार्थीगण को बेदखल करने व आराजियात को खुर्द बुर्द करने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है। अतः प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य वाद विवाद व वाद बहुल्यता न बढे , सम्पति को संरक्षित व सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद तक जारी किया जाना उचित पाता हूॅ।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाती है कि विपक्षीगण सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र

उपखण्ड अधिकारी

ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 04 चार मे आराजी नम्बर 3373/48 रकबा 0.3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3374/44 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3375/44 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3376/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3377/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3378/38 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3379/48 रकबा 0.3025 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3380/44 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 44 रकबा 2.4408 हैक्टयर, आराजी नम्बर 45 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 46 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 47 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 48 रकबा 0.8600 हैक्टयर कुल किता 13 रकबा 5.2102 हैक्टयर भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा नही करे व उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण नही करे व किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करावे व विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

यह आदेश आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)